प्रेषक,

सदस्य, नीलामी समिति/
प्रभारी अधिकारी (नज़ारत),
जनपद न्यायालय, कौशाम्बी।

सेवा में,

जिला विज्ञान सूचना अधिकारी,
एन0आई0सी0,
कौशाम्बी।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश
कौशाम्बी।

विषय :– जनपद न्यायालय, कौशाम्बी के निष्प्रयोज्य वाहनों की नीलामी से सम्बन्धित नियम व शर्ते वेबसाइट में अपलोड कराने के सन्दर्भ में।

महोदय,

अवगत कराना है कि जनपद न्यायालय, कौशाम्बी में निष्प्रयोज्य सरकारी वाहनों की नीलामी करायी जानी है, जिससे सम्बन्धित नियम एवं शर्तो को वेबसाइट में अपलोड कराना है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि संलग्न नियम व शर्तो को वेबसाइट www.kaushambhi.nic.in पर अपलोड कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

धन्यवाद।

दिनांक : 23–11–2021

23/11/2021

(अरविन्द कुमार–द्वितीय)
प्रभारी अधिकारी–नज़ारत/सदस्य, नीलामी समिति/
विशेष न्यायाधीश–पाक्सो अधिनियम,
जनपद न्यायालय, कौशाम्बी।

संलग्नक :– वाहनों की नीलामी से सम्बन्धित नियम व शर्तो की छायाप्रति।

अग्रसारित द्वारा :–

जनपद न्यायाधीश
कौशाम्बी।

पत्र संख्या : 610 /स्थानीय/जन0न्याया0/कौशाम्बी/दिनांकित : 23-11-2021

जनपद न्यायालय, कौशाम्बी के सरकारी वाहनों की नीलामी हेतु नीलामी के नियम व शर्ते।

1. सरकारी वाहन यू0पी0–70 जे, 7013 (एम्बेस्डर कार, पेट्रोल चालित, माडल–1996), यू0पी0–73, 0777 (एम्बेस्डर कार, पेट्रोल चालित, माडल–1998), यू0पी0–85 सी, 8004 (एम्बेस्डर कार, पेट्रोल चालित, माडल–1997) तथा यू0पी0–70 एजी, 0609 (होण्डा सिटी कार, पेट्रोल चालित, माडल–2009) की नीलामी दिनांक : 15–12–2021 को सायंकाल 04:30 बजे से जनपद न्यायालय, कौशाम्बी के नवीन भवन में जिलाधिकारी, कौशाम्बी की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष/द्वारा करायी जायेगी।

2. नीलामी में बोली बोलने हेतु आवेदन पत्र दिनांक : 15–12–2021 के पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर या दिनांक : 15–12–2021 को बोली बोलने से पूर्व प्रभारी अधिकारी–नज़ारत की अनुमति के उपरान्त नज़ारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, कौशाम्बी से निःशुल्क प्राप्त किए जा सकते है।

3. बोली दाता को जमानत/धरोहर धनराशि रु0 5,000/– नगद दिनांक : 15–12–2021 से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में या दिनांक : 15–12–2021 को प्रभारी अधिकारी–नज़ारत की अनुमति के उपरान्त नज़ारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, कौशाम्बी में जमा करना होगा। नीलामी में व्यक्तिगत रुप से उपस्थित न होने की दशा में जमानत/धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

4. उपरोक्त वाहनो का निरीक्षण इच्छुक व्यक्ति के द्वारा दिनांक : 15–12–2021 के पूर्व किसी भी कार्यदिवस में सुबह 10:00 बजे से सायंकाल 05:00 बजे के मध्य या दिनांक : 15–12–2021 को प्रभारी अधिकारी–नज़ारत की अनुमति के उपरान्त किया जा सकता है।

5. जमानत धनराशि जमा करते समय बोली दाता को उपनी दो पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, आधार कार्ड की स्वहस्ताक्षरित फोटोकॉपी नज़ारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, कौशाम्बी में जमा करनी होगी।

6. नीलामी हेतु सन्दर्भित वाहन की नीलामी "जहॉ भी, जैसी भी स्थिति में है" के आधार पर की जायेगी तथा नीलामी के उपरान्त किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नही किया जायेगा।

7. सर्वाधिक वोलीदाता को सर्वोच्च/स्वीकृत बोली की 1/2 भाग की धनराशि उसी समय जमा करनी होगी तथा शेष 1/2 भाग की धनराशि नीलामी स्वीकृत होने के उपरान्त 07 दिनों के भीतर, वाहन का वास्तविक रुप में कब्जा लेने से पूर्व नज़ारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, कौशाम्बी में जमा करनी होगी। अन्यथा उनके द्वारा जमा जमानत/धरोहर धनराशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।

8. नीलामी में सफल व्यक्ति अपने स्वयं के खर्चे पर वाहन को नीलामी स्थल से ले जायेगें, उनको वाहन के विक्रय पत्र/हस्तान्तरण का खर्चा तथा नीलामी की विज्ञप्ति

विज्ञापन का खर्च भी स्वयं वहन करना होगा।

9. नीलामी में असफल व्यक्तियों द्वारा जमा की गयी जमानत/धरोहर राशि उसी दिन नीलामी के उपरान्त वापस कर दी जायेगी।

10. वाहनों की नीलामी मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के नीलामी स्वीकृति पत्र, दिनांकित : 17–09–2015 तथा उ0प्र0 सरकार के समय–समय पर निर्गत दिशानिर्देशों के अनुसार करायी जायेगी।

11. किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में मा0 जनपद न्यायाधीश, कौशाम्बी का निर्णय सर्वमान्य तथा अन्तिम होगा।

12. नीलामी में सफल व्यक्ति द्वारा नियमानुसार जी0एस0टी0 भी देय होगा।

उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन किए जाने पर नीलामी निरस्त कर दी जायेगी।

दिनांक :

अध्यक्ष, नीलामी समिति

जिलाधिकारी/जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी
कौशाम्बी।

<u>नीलामी समिति के सदस्यगण</u>

विशेष न्यायाधीश–पाक्सो अधिनियम
जनपद न्यायालय, कौशाम्बी।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी
कौशाम्बी।